(16)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
कैम्प कोर्ट सन्तोष नगर
पीठसीन अधिकारी श्री जयसिंह, आरएएस

वाद संख्या 149/2015

1. श्रीमति खानो पत्नि श्री गायडखां
2. अलादिता पुत्र गायडखां
3. कायमखां पुत्र गायडखां
4. मु0 नाता पुत्री गायडखां
5. पिरण खां पुत्र गुलमन्दखां
6. सफीखां पुत्र गुलमन्दखां
7. तमजूखां पुत्र गुलमन्दखां

जाति मुसलमान
निवासीगण शेरूवाला
तहसील कोलायत
जिला बीकानेर

---वादीगण

बनाम

1. श्रीमति भिराई पत्नि श्री पीरूखां जाति मुसलमान निवासी चक 6 बीएमआर तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार

---प्रतिवादीगण

उपस्थिति :– 1. पैरोकार राज उपस्थित
2. श्री रामचन्द्र सिहं भाटी अधिवक्ता वादीगण
3. प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :–14.06.2017

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पूर्वज गुलाबखां के नाम ग्राम शेरूवाला में खसरा नंबर 420/32 में 25 बीधा मिसल बन्दोबस्त दर्ज है। उपरोक्त भूमि बाद चकबन्दी चक 5 ए0एम0 में मुरब्बा नंबर 74/12 में किला नंबर 18 में 1 बीधा एंव चक 7 ए0एम0 में मु0न0 54/51 में कि0न0 3 में 1 बीधा में पैमुद हुई है जो राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 2058 मक वादीगण के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है। उपरोक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 2059 तैयार करते समय हल्का पटवारी ने बिना किसी अधिकारी के आदेश से, अपने कार्य क्षैत्र से बाहर जाकर आराजी मुतनाजा आराजी राज दर्ज कर दी जबकि वादीगण रिकार्डेड गैर खातेदार होने से अपने हक अधिकारों की धोषणा कराने के मुश्तहक है। आराजी मुतनाजा चक 7 ए0एम0 में मुरब्बा नंबर 54/51 किला नंबर 3 तादादी 1 बीधा भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजी राज होने से प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटन कर दी जो कानून एंव विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी मिसल बन्दोबस्ती भूमि है तथा कब्जा काश्त में होने से प्रतिवादीगण को चिर निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। वादीगण ने वाद पेश करने से पूर्व राज्य सरकार को धारा 80 सिविल प्रकिया संहिता के तहत नोटिस दिया हैं। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वाद के

Scanned by CamScanner

(17)

प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार बरूए रिर्पोट पटवारी चक 7 ए0एम0 में मु0न0 54/51 में कि0न0 3 तादादी 1 बीघा मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत 2056 से 2059 में गायडखां, वीरणखां, ताजूखां,सफीखां पि0 गुलामखां मुसलमान के नाम गैर खातेदारी दर्ज है खसरा गिरदावरी सम्वत 2060 से 2063 में उपरोक्त भूमि आराजी राज होने से उक्त भूमि भिराई पत्नि पीरूखां मुसलमान को जरिये इन्तकाल संख्या 84 दिनांक 18.01.2007 विशेष आवंटन से स्वीकृत हुवा हैं। सूचि नंबर 4 अनुसार यह रकबा खसरा नंबर 322 तादादी 84-11 बीघा गैर खातेदार का है जो जमाबन्दी समवत 2025 से 2028 अनुसार खाता नंबर 35/25 गुलामखां वल्द बड्ण खां के नाम गैर खातेदारी हैं। इसी प्रकार चक 5 ए0एम0 का मुरब्बा नंबर 74/12 का किला नंबर 18 तादादी 1 बीघा खसरा गिरदावरी सम्वत 2059 से 2062 में गायडखां वगैरह के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। सम्वत 2063 से 2066 में आराजी राज हुवा है। सूचि नंबर 4 अनुसार यह रकबा गायडखां वगैरह की गैर खातेदारी है जो जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के अनुपस्थित होने से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। फिर प्रतिवादी संख्या 1 के उपस्थित होने पर जवाब पेश करने का अवसर दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब में वादपत्र तथ्यों को नकारते हुवे कथन किया कि प्रतिवादिया को वादगत भूमि विशेष आवंटन के गजट में होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 10.11.2006 को किमतन 2,40,000/- में आवंटन की गई है। प्रतिवादिया द्वारा बीस प्रतिशत राशि जमा कराने पर दिनांक 01.12.2006 को आवंटन पटटा प्राप्त कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर तमाम रिकार्ड में प्रतिवादिया के नाम दर्ज हो गई। बकाया तमाम किश्त राशि जमा करा कर दिनांक 18.09.13 को खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। प्रतिवादीगण वादगत भूमि की रिकार्डेड खातेदारी है इसलिए दावा खारिज योग्य है। वादीगण अपनी भूमि खसरा नंबर 420/32 में बता रहा है जबकि मुझ प्रतिवादिया की खातेदारी का मुरब्बा नंबर 54/51 किला नंबर 3 खसरा नंबर 322 से बने है इसलिए वादगत भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। दावा खारिज योग्य है। वाद में दिनांक 10.03.2014 को तनकी कायम की जा चुकी है। वादी की ओर से पूर्व में साक्ष्य पेश कर दिये है। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 30.07.2014 को आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रकिया संहिता के तहत आवेदन पेश किया जो दिनांक 01.07.2015 को स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय आदेश को निरस्त कर प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब पेश करने हेतू अन्तिम अवसर दिया गया तथा दिनांक 10.08.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर दिया गया प्रतिवादी संख्या 1 को वास्ते बहस कई बार मौके दिये गये परन्तु मात्र वाद के निस्तारण में देरी करने की मन्शा से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 13.04.2017 को जवाब दावा रिकार्ड पर लेने एंव पुनः तनकी कायम किये जाने के लिए आवेदन पेश किया फिर दिनांक 20.04.2017 को आदेश 7 नियम 11, आदेश 26 नियम 10 ए सिविल प्रकिया संहिता के तहत आवेदन पेश किये जिससे साबित है कि मात्र न्याय में देरी करने की मन्शा प्रतिवादी संख्या 1 की है जिससे उक्त आवेदन इसी स्टेज पर निरस्त किये जाते है। वाद में निम्न तनकियात कायम की गई है :-

तनकी संख्या 1 :- आया कि वादाधीन विवादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है ?

-----वादीगण

Scanned by CamScanner

(19)

(13)

बाद में प्रस्तुत साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 ग्राम शेरूवाला खाता संख्या 32/25 में विवादित भूमि खसरा नंबर 322 तादादी 84–11 बीधा गुलाबखां पुत्र बडणखां कौम मुसलमान पडिहार गैर खातेदार दर्ज है जो सूचि नंबर 4 अनुसार चक 7 ए0एम0 के मु0न0 54/51 कि0न0 3 तादादी 1 बीधा, चक 5 ए0एम0 मु0न0 74/12 कि0न0 18 तादादी 1 बीधा इसी खसरे की भूमि का है। चक 7 ए0एम0 में मु0न0 54/51 में कि0न0 3 तादादी 1 बीधा मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत 2056 से 2059 में गायडखां, पीरणखां, ताजूखां, सफीखां पि0 गुलामखां मुसलमान के नाम गैर खातेदारी दर्ज हैं खसरा गिरदावरी सम्वत 2060 से 2063 में उपरोक्त भूमि आराजी राज हुवा है इसी प्रकार चक 5 ए0एम0 का मुरब्बा नंबर 74/12 का किला नंबर 18 तादादी 1 बीधा खसरा गिरदावरी सम्वत 2059 से 2062 में गायडखां वगैरह के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। सम्वत 2063 से 2066 में आराजी राज हुवा है। रिर्पोट पटवारी दिनांक 23.07.2009 भी उपरोक्तानुसार है तथा रिर्पोट पटवारी अनुसार उपरोक्त उपरोक्त भूमि किसी अधिकारी के आदेश के बिना ही आराजी राज की गई है। उपरोक्त तमाम कार्यवाही हल्का पटवारी से पेन मिस्टेक से हुई है, किसी अधिकारी के आदेश नहीं है। स्टेट की ओर से प्रस्तुत जवाब में भी इन तथ्यो को स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत दस्वावेजात, साक्ष्य वादीगण अनुसार उपरोक्त तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

तनकी संख्या 2 :– आयाकि वादाधीन विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त है ?

–––––वादीगण

प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 ग्राम शेरूवाला खाता संख्या 32/25 में विवादित भूमि खसरा नंबर 322 तादादी 84–11 बीधा गुलाबखां पुत्र बडणखां कौम मुसलमान पडिहार गैर खातेदार दर्ज है जो सूचि नंबर 4 अनुसार चक 7 ए0एम0 के मु0न0 54/51 कि0न0 3 तादादी 1 बीधा, चक 5 ए0एम0 मु0न0 74/12 कि0न0 18 तादादी 1 बीधा इसी खसरे की भूमि का है। चक 7 ए0एम0 में मु0न0 54/51 में कि0न0 3 तादादी 1 बीधा मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत 2056 से 2059 में गायडखां, पीरणखां, ताजूखां, सफीखां पि0 गुलामखां मुसलमान के नाम गैर खातेदारी दर्ज हैं खसरा गिरदावरी सम्वत 2060 से 2063 में उपरोक्त भूमि आराजी राज हुवा है इसी प्रकार चक 5 ए0एम0 का मुरब्बा नंबर 74/12 का किला नंबर 18 तादादी 1 बीधा खसरा गिरदावरी सम्वत 2059 से 2062 में गायडखां वगैरह के नाम गैर खातेदारी दर्ज है जिससे विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा साबित होने से उपरोक्त तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

तनकी संख्या 3 :– वादाधीन विवादग्रस्त भूमि वादीगण की भूमि नहीं है ?

–––प्रतिवादी संख्या 2

प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य अनुसार विवादित भूमि वादीगण की मिसल बन्दोबस्ती भूमि है जो हल्का पटवारी की पेन मिस्टेक से आराजी राज होकर प्रतिवादी संख्या 1 को विशेष आवंटन के तहत आवंटन हुई है। प्रस्तुत दस्तोवजात विशेष आवंटन पत्रावली एंव गजट अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने विशेष आवंटन के तहत चक 7 ए0एम0 में मुरब्बा नंबर 54/61 तथा 54/59 की भूमि आवंटन हेतू आवेदन दिनांक 14.06.1995 को पेश किया। आवंटन

Scanned by CamScanner

अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मु0न0 54/59 की भूमि आवंटन कर दी परन्तु मु0न0 54/61 गजट में नहीं होने से आवंटन नहीं किया। आवंटन अधिकारी द्वारा मु0न0 54/61 के स्थान पर मु0न0 54/51 गजट शुद्वि हेतू तहसील से रिर्पोट ली। तहसील रिर्पोट दिनांक 9.10.08 अनुसार मु0न0 गजट में मु0न0 54/51 की जगह सहवन से मु0न0 54/61 लिखा गया। किलेवार मु0न0 54/51 किला नंबर 4 से 7, 10 से 24 तादादी 19 बीधा एंव मु0न0 54/59 किला नंबर 1,2, 9 ता 12 तादादी 6 बीधा रकबा राज की सूचि में मुरब्बा नंबर 54/51 भेजा गया है। उक्त रिर्पोट के आधार पर आवंटन अधिकारी सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत एंव आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के मध्य दिनांक 2003 तक पत्राचार चलता रहा। गजट आज दिनांक तक शुद्विकरण नहीं किया गया है। दिनांक 07.02.2003 को हल्का पटवारी रिर्पोट अनुसार मु0न0 54/51 किला नंबर 4 ता 7, 10 ता 24 तादादी 19 बीधा अंकित है। फिर प्रतिवादी संख्या 1 ने नई आवंटन पत्रावली मु0न0 54/51 विशेष आवंटन हेतू दिनांक 31.03.2006 को पेश की एंव दिनांक 10.11.2006 को उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटन कर दी गई जबकि उपरोक्त मु0न0 54/51 विशेष आवंटन गजट में आज दिनांक तक प्रकाशित नहीं है, ना ही गजट में किसी प्रकार का शुद्विकरण हुवा है। उपरोक्त भूमि आवंटन से पूर्व हल्का पटवारी रिर्पोट दिनांक 07.02.2003 अनुसार मु0न0 54/51 में 19 बीधा राजकीय भूमि अंकित है जबकि आवंटन आदेश में मु0न0 54/51 में वादीगण का किला नंबर 3 और जोड कर कुल भूमि 20 बीधा कर दी गई है जिससे ही साबित है कि मु0न0 54/51 किला नंबर 3 कभी भी विशेष आवंटन गजट में प्रकाशित नहीं था, ना ही गजट में शुद्विकरण हुवा है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 5 ए0एम0 के मुरब्बा नंबर 54/51 में किला नंबर 3 की 1 बीधा भूमि विशेष आवंटन के तहत गलत आवंटन हुई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

तनकी संख्या 4 :– अनुतोष

वाद धोषणात्मक है जिसमें वाद पेश करने से पूर्व कानूनन राज्य सरकार को धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है। वादीगण द्वारा दिनांक 27.01.2012 को राज्य सरकार जरिये तहसीलदार उपनिवेशन तहसील कोलायत नंबर 1 को नोटिस दिया गया है। प्राईवेट पक्षकारान को नोटिस दिये जाने के प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता में नहीं है। नियम 9 के तहत वाद दो प्रतियों में प्रस्तुत किया गया है तथा तलबाना व सम्मन व पक्षकारान की वाद प्रतियां वाद पेश करते समय प्रस्तुत की गई थी। आराजी मुतनाजा मिसल बन्दोबस्त अनुसार गुलाबखां के नाम रिकार्डेड खातेदार व गैर खातेदार दर्ज है। जो विरासतन वादीगण के नाम दर्ज हुई है। रिर्पोट पटवारी चक 7 ए0एम0 में मु0न0 54/51 में कि0न0 3 तादादी 1 बीधा मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत 2056 से 2059 में गायडखां, पीरणखां, ताजूखां,सफीखां पि0 गुलामखां मुसलमान के नाम गैर खातेदारी दर्ज हैं खसरा गिरदावरी सम्वत 2060 से 2063 में उपरोक्त भूमि आराजी राज हुवा व आराजी राज होने से उक्त भूमि भिराई पत्नि पीरूखां मुसलमान को जरिये इन्तकाल संख्या 84 दिनांक 18.01.2007 विशेष आवंटन से स्वीकृत हुवा हैं। सूचि नंबर 4 अनुसार यह रकबा खसरा नंबर 322 तादादी 84–11 बीधा गैर खातेदार का है

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

जो जमाबन्दी समवत 2025 से 2028 अनुसार खाता नंबर 35/25 गुलामखां वल्द बडण खां के नाम गैर खातेदारी हैं। इसी प्रकार चक 5 ए0एम0 का मुरब्बा नंबर 74/12 का किला नंबर 18 तादादी 1 बीधा खसरा गिरदावरी सम्वत 2059 से 2062 में गायडखां वगैरह के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। सम्वत 2063 से 2066 में आराजी राज हुवा है। सूचि नंबर 4 अनुसार यह रकबा गायडखां वगैरह की गैर खातेदारी है जो जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 में दर्ज है जो बिना विशेष आवंटन गजट प्रकाशन के ही प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटन किया गया है जिससे वादीगण आराजी मुतनाजा में निहीत अपने हक अधिकारों की धोषणा कराने की मुस्तहक है। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत वादीगण अनुतोष प्राप्त करने के हकदार होने से उपरोक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरुद्ध सिद्ध होती है।

विवेचना

उपरोक्त तनकीयात अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य व जिरह अनुसार विवादित भूमि ग्राम मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2025 ग्राम शेरूवाला खाता संख्या 32/25 में विवादित भूमि खसरा नंबर 322 तादादी 84–11 बीधा गुलाबखां पुत्र बडणखां कौम मुसलमान पडिहार गैर खातेदार दर्ज है जो सूचि नंबर 4 अनुसार चक 7 ए0एम0 के मु0न0 54/51 कि0न0 3 तादादी 1 बीधा चक 5 ए0एम0 मु0न0 74/12 कि0न0 18 तादादी 1 बीधा इसी खसरे की भूमि का है। चक 7 ए0एम0 में मु0न0 54/51 में कि0न0 3 तादादी 1 बीधा मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत 2056 से 2059 में गायडखां, पीरणखां, ताजूखां, सफीखां पि0 गुलामखां मुसलमान के नाम गैर खातेदारी दर्ज हैं खसरा गिरदावरी सम्वत 2060 से 2063 में उपरोक्त भूमि आराजी राज हुवा है इसी प्रकार चक 5 ए0एम0 का मुरब्बा नंबर 74/12 का किला नंबर 18 तादादी 1 बीधा खसरा गिरदावरी सम्वत 2059 से 2062 में गायडखां वगैरह के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। सम्वत 2063 से 2066 में आराजी राज हुवा है। उपरोक्त तमाम कार्यवाही हल्का पटवारी से पेन मिस्टेक से हुई है, मु0न0 54/51 किला नंबर 3 कभी भी विशेष आवंटन गजट में प्रकाशित नहीं था, ना ही गजट में शुद्विकरण हुवा है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 5 ए0एम0 के मुरब्बा नंबर 54/51 में किला नंबर 3 की 1 बीधा भूमि विशेष आवंटन के तहत गलत आवंटन हुई है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विशेष आवंटन किला नंबर 3 तादादी 1 बीधा की हद तक निरस्त किया जाता है तथा चक 7 ए0एम0 के मु0न0 54/51 किला नंबर 3 तादादी 1 बीधा एंव चक 5 ए0एम0 के मुरब्बा नंबर 74/12 किला नंबर 18 तादादी 1 बीधा कुल 2 बीधा भूमि का वादीगण को गैर खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने तथा प्रतिवादीगण को चिर निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2017 को कैम्प कोर्ट सन्तोष नगर में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर
कोलायत

Scanned by CamScanner